

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2015

का. आ. 3065(अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 18.05.2009 की अधिसूचना सं. का. आ. 1250(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “श्री भागिनी मित्रमंडल, न्यू सर्वोदय सोसायटी-पलिटाना, गुजरात राज्य-364270” द्वारा “वृद्ध महिलाओं हेतु गृह और परियोजनाओं के प्रचालन हेतु कार्पस” को वित्तीय वर्ष 2011-12 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं. 11 पर अधिसूचित किया था; जिसे बाद में दिनांक 17.10.2013 की अधिसूचना सं. का. आ. 3161(अ) द्वारा वित्त वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों की अवधि हेतु और बढ़ा दिया गया था।

और जबकि दिनांक 17.10.2013 की अधिसूचना सं. का. आ. 3161(अ) द्वारा अनुमानित लागत को 2.5 करोड़ रूपए से बढ़ा कर 7.13 करोड़ रूपए किया गया।

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, “श्री भागिनी मित्रमंडल, न्यू सर्वोदय सोसायटी-पलिटाना, गुजरात राज्य-364270” द्वारा चलाई जा रही “वृद्ध महिलाओं हेतु गृह और परियोजनाओं के प्रचालन हेतु कार्पस” की परियोजना अथवा स्कीम को 7.13 करोड़ रूपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना, वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2015-16, 2016-17 और 2017-2018 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 255/2015/फा. सं. वी -27015/3/2015 एस ओ (रा. स.)]

मकखन लाल मीना, उप सचिव(राष्ट्रीय समिति)